



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 23, बुधवार, शाके 1943-जुलाई 14, 2021
Asadha 23, Wednesday, Saka 1943- July 14, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 14, 2021

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त विनियमों के विद्यमान विनियम 7 एवं 7ए को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“7. कोई भी विवाह संबंधी आयोजन किसी मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थान व वर या वधू के घर पर प्रातः 6.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक आयोजित किया जा सकेगा, ऐसे आयोजन में कुल 25 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे परन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात विवाह-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं एवं आयोजक को इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये पोर्टल <http://covidinfo.rajasthan.gov.in>→ e-intimation: MARRIAGE एवं 181 हेल्प लाईन नंबर पर देनी होगी एवं उक्त आयोजन के आयोजक द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि,-

- विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाईट-डेकोरेशन, कटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों से अधिक नहीं हो ;
- विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं होगी परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी;
- उक्त समारोह के दौरान सामाजिक दूरी संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी;
- उक्त समारोह में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति फेस मॉस्क (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढंका हुआ हो) का प्रयोग करेगा;

- (v) नो-मॉस्क नो एन्ट्री की कठोरता से पालना की जावेगी;
- (vi) उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के उपयोग हेतु सुविधा के स्थान, रैलिंग, दरवाजे के हैण्डिल को नियमित रूप से सेनिटाईज किया जावेगा;
- (vii) आयोजक उक्त कार्यक्रम की वीडियोग्राफी तैयार करवायेंगा एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करावेगा;
- (viii) बैण्ड-बाजा, लाईट, डेकोरेशन, केटरिंग व्यवसाय आदि से जुड़े सभी व्यक्तियों को शादी-समारोह व अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व वैक्सीन की कम से कम प्रथम डोज लगवाना अनिवार्य होगा।“
- 7ए. किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर या अधिभोगी व अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थान में विवाह समारोह में कुल 25 व्यक्ति या उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात विवाह-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत किये जाने पर एवं अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाईट-डेकोरेशन, केटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों तक प्रातः 6.00 बजे से सांय 8.00 बजे के पश्चात उक्त आयोजन की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। “

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र कुमार,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।